विमर्श तथा सिफारिश के लिए रखेगा, जिसमें, कार्मिक मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय तथा जिस मंत्रालय/विभाग के अधीन भर्ती की जानी है, उसके सचिव शामिल होंगे। इस समिति की सिफारिश को कार्मिक मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के समक्ष अन्तिम निर्णय के लिए रखा जाएगा।

8. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि उपयुक्त अनुदेशों को कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी नियोक्ता/भर्ती करने वाले प्राधिकारियों के ध्यान में ला दें।

केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित निकायों में सीधी भर्ती

487. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार और इससे सम्बद्ध निकायों, इत्यादि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण रूपेण वित्त पोषित और नियंत्रित होते हैं, के अंतर्गत विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती करने के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के कुछ निकायों को इस सीमा से रियायत देने की छूट प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे विभागों/निकायों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा): (क) जी हां, इन्दिरा साहनी के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत समग्र आरक्षण, एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Ignoring the advice of UPSC

488. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of cases in which the advice given by the Union Public Ssrvice Commission has been ignored during the years 1992-93 and 1993-94; and

(b) what were the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA); (a) and (b) In. the Annual Report for the year 1992-93, UPSC reported 8 cases of non-acceptance of the Commission's advice. The Report alongwith an Explanatory Memoranda giving reasons for Non-acceptance of the 8 cases is being laid on the Table of the House in the current session. The Government is still to receive the Commission's Report for the years 1993-94.

Bar on Epileptic Patients in Government Servile

489. SHRI JALALUDIN ANSARI:
SHRI CHATURANAN MISHRA;

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Epileptic patients are debarred from joining Government Service; and

(b) if so, the details there of and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) and (B) There are to general orders debarring epileptic patients from joining Govern. ment serivce. However, standards of medical fitnefes for entry into Government service Jn, a post, depend on the nature of duties to be performed in that post. .